CNR NO-UPME010032042026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-20 मेरठ।
उपस्थितिः- अभिषेक उपाध्याय (एच 0 जे0 एस 0)
J.O.Code No. - UP1641
कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या - 1127/2026
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 891/2026
मु०अ०सं०- 118/2023
धारा- 420, 120 बी, 193 भा०दं०सं०
थाना- सिविल लाईन्स, मेरठ।

हिन्दपाल सिंह पुत्र भोपाल सिंह, निवासी- 456, रईसपुर, थाना कवि नगर, जिला गाजियाबाद।
----प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य -----अभियोजक

दिनांक- 11.03.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक **हिन्दपाल सिंह पुत्र भोपाल सिंह** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में धारा 482 बी०एन०एस० के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक की ओर से यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे इस मुकदमे में गलत व झूठा फँसाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध मात्र यह आरोप है कि वह वाहन संख्या यू०पी० 14 बी०आर० 1342 का पंजीकृत स्वामी है, जिसका कथित रूप से घटना में उपयोग किया जाना बताया गया है। घटना के समय प्रार्थी मौके पर उपस्थित नहीं था तथा उसे उक्त वाहन के कथित उपयोग की कोई जानकारी भी नहीं थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी के विरुद्ध वाहन के स्वामित्व के अतिरिक्त कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गयी है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि केवल वाहन का स्वामी होने मात्र से तब तक आपराधिक दायित्व नहीं बनता जब तक उसके ज्ञान, सहमति या संलिप्तता का कोई साक्ष्य न हो। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह समाज में सम्मानित व्यक्ति है। यह कि विवेचना के दौरान प्रार्थी ने विवेचनाधिकारी के साथ पूर्ण सहयोग किया तथा जब भी आवश्यक हुआ, स्वयं को उपलब्ध कराया। पूर्ण सहयोग के बावजूद विवेचक द्वारा प्रार्थी को गिरफ्तार किए बिना ही आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रार्थी को गिरफ्तारी की आशंका है। प्रार्थी स्थायी निवासी है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा आरोपित धाराएँ अधिकतम 7 वर्ष तक के दंड से दंडनीय हैं। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने, विचारण में पूर्ण सहयोग करने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा निर्देशित जमानतदार प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने की कृपा करें।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा सिविल निगरानी संख्या-49/2015 में पारित आदेश दिनांक 07-10-2015 के अनुपालन में मोटर एक्सीडेंट क्लेम याचिका व वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत करोड़ों रूपये के फर्जी क्लेम प्राप्त करने के सम्बन्ध में आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड जनरल इं० कं० लि० द्वारा प्रस्तुत की गयी याचिका संख्या-1011/2016 श्रीमती ब्रसला देवी बनाम हिन्दपाल आदि, मेरठ की विवेचना विज-डीजी एसआईटी 2015 के द्वारा प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान संज्ञेय अपराध का किया जाना पाये जाने पर अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी जिसमें याचिनी ब्रसला देवी ने दिनांक 03-12-2016 को अधिवक्ता राजेन्द्र चौधरी के मणयम से मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका 1011/2016 योजित की जिसमें उसके पुत्र अतुल चौधरी की मोटर साईकिल यूपी 15 बीएम 6285 में दिनांक 28-05-2016 को समय 10:15 बजे रात्रि में मारूति अल्टो कार संख्या-यूपी 14 बीआर 1342 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से टक्कर मारकर गम्भीर चोट पहुंचाये जाने का कथन किया है और उक्त चुटहिल की मृत्यु होने के फलस्वरूप 31,60,000/- रूपये का प्रतिकर दिलाये जाने की मांग की गयी है। उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में मृतक के चाचा शरण सिंह द्वारा अज्ञात वाहन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। जिस वाहन से दुर्घटना होना तथा उसका चालक अशोक कुमार को होना बताया गया है परन्तु उक्त अशोक कुमार कभी भी उक्त वाहन पर चालक नहीं रहा है। उसने शरणसिंह के मांगने पर डी०एल० की छाया प्रति दी थी जिसका गलत उपयोग किया गया है। इस प्रकार सोची समझी साजिश के तहत फर्जी प्रतिकर प्राप्त करने के लिये झूठी याचिका योजित करदी गयी है।

4. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्कों में यह अभिकथित किया गया है अभियुक्त एक सीधा- सादा निर्दोष व्यक्ति है। उसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है। वह घटनाक्रम में प्रयुक्त वाहन का रजिस्ट्रर्ड स्वामी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दौरान विवेचना उसके द्वारा विवेचना में सहयोग प्रदान किया गया था तथा दौरान विवेचना उसे गिरफ़्तार नही किया गया था। घटनाक्रम में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध में 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। अभियुक्त को गिरफ़्तारी का अंदेशा है। सह-अभियुक्ता श्रीमती ब्रसला की अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय जनपद न्यायालय महोदय द्वारा दिनांक 31.05.2023 को स्वीकार की जा चुकी है। इस परिस्थिति में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया कि अभियुक्त की अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की कृपा की जाए।

5. अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्कों में यह अभिकथित किया गया कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पुलिस द्वारा घटनाक्रम में उसके विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई उत्पीड़नात्मक प्रोसेस निर्गत नहीं है। अतः अभियुक्त की गिरफ़्तारी का कोई अंदेशा नहीं है। इस परिस्थिति में अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया कि अभियुक्त की अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की कृपा की जाए।

6. उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त हिन्दपाल सिंह के ऊपर थाना सिविल लाईन्स द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 420, 120 बी, 193 भा०दं०सं० अधिरोपित किया गया है। घटनाक्रम में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त के ऊपर अधिरोपित अपराध में अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अभियुक्त द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि घटनाक्रम में प्रयुक्त वाहन का रजिस्ट्रर्ड स्वामी होने के कारण उपरोक्त घटनाक्रम में उसके विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। दौरान विवेचना उसके द्वारा अन्वेषण में सहयोग प्रदान किया गया है तथा दौरान विवेचना पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ़्तारी की कोई आवश्यकता नहीं महसूस की गयी थी। सह-अभियुक्ता श्रीमती ब्रसला की अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय जनपद न्यायालय महोदय द्वारा दिनांक 31.05.2023 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा यह अभिकथित किया जा रहा है कि उसे गिरफ़्तारी का अंदेशा है।

8. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (2022) 10 (एस०सी०सी०) 51 में अवधारित सिद्धांत के अनुक्रम में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है। इस परिस्थिति में अभियुक्त हिन्दपाल सिंह का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **हिन्दपाल सिंह पुत्र भोपाल सिंह** की ओर से मु०अं०सं० **118/2023**, **धारा 420, 120 बी, 193 भा०दं०सं०**, थाना सिविल लाईन्स, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अंकन **75,000/- रूपये** का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक / अभियुक्त निम्न शर्तो का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगा-

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नही देंगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।
2. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ें।
3. यह कि आवेदक/अभियुक्त जब भी न्यायालय अपेक्षा करेगा, न्यायालय में उपस्थित होगा।
4. यह कि आवेदक/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिन के अंदर अवर न्यायालय में बंधपत्र प्रस्तुत करेगा।

दिनांक- 11.03.2026

(अभिषेक उपाध्याय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-20, मेरठ।
J.O. Code – U.P. 1641

Digitally signed by ABHISHEK UPADHYAYA
Date: 2026.03.11 17:53:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court